हाईवे पर नहीं थम रही ई-रिक्शों की रफ्तार, कार्रवाई भी बेअसर

दस ई-रिक्शा यातायात पुलिस ने किए सीज, कुछ को दौड़ाया, बिना हेलमेट दौड़ रहे बाइक सवार

जागरण पड़ताल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : हाईवे जहां ई-रिक्शा, ऑटो चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। इन्हें रोकने के लिए बीते तीन साल से लगातार आदेश और नियम बन रहे हैं। दो दिन पहले मंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में एक बार फिर हाईवे पर चलने वाले ई-रिक्शाओं को रोकने के आदेश हुआ, लेकिन यह आदेश एक बार फिर से फाइलों में ही कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार को भी हाईवे पर धड़ल्ले से ई-रिक्शा दौड़ते हुए नजर आए।

लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे हो या फिर मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे सभी पर ई-रिक्शा पूरे दिन बिना रोकटोक दौड़ते रहे। बैठक में लिया गए दूसरे निर्णय बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई शहर में होती हुई नजर तो आई, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए नजर आए। गुरुवार को यातायात पुलिस कुछ सख्ती करती जरूर नजर आई और हाईवे पर दौड़ रहे ई-रिक्शाओं को पकड़कर सीज कर दिया, लेकिन पुलिस वह कार्रवाई हाईवे से ई-रिक्शा को नहीं रोक पा रही है।

पाकबड़ा लोदीपुर राजपूत पुल से गुजरते ई रिक्शा ● जागरण

रामपुर रोड दलपतपुर में नेशनल हाईवे से गुजरता ई रिक्शा ●

स्थान : पाकबड़ा में नेशनल हाईवे पर

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित टीएमयू के सामने जागरण की टीम ने खड़े होकर देखा तो गुरुवार को भी ई-रिक्शा दौड़ते हुए नजर आए। शाम करीब चार बजे दस मिनट में ही पांच ई-रिक्शा हाईवे से गुजर गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे दिन में कितने ई-रिक्शा हाईवे से गुजरे होंगे

स्थान: मूंढापांडे में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर जागरण टीम ने दोपहर दो बजे दलपतपुर में खड़े होकर करीब आधा घंटे तक देखा। आधा घंटे में ही यहां हाईवे पर 19 ई-रिक्शा गुजरे। स्थिति बुधवार की तरह ही नजर आई। इससे साफ है कि आदेश के बाद भी हाईवे पर ई-रिक्शा नहीं रुक रहे हैं।

कांठ रोड- किला तिराहा

बाइक सवारों की स्थिति देखने के लिए जागरण की टीम ने कांठ रोड किला तिराहे पर दोपहर एक बजे खड़े होकर स्थिति देखी तो 133 बाइक यहां से गुजरीं। जिसमें से 53 बाइक सवार ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। जबकि हरथला से लेकर पीएसी तिराहे तक इस मार्ग पर तीन जगह यातायात पुलिस चेकिंग कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी बिन हेलमेट लगाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी।

"यातायात पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। गुरुवार को कई ई-रिक्शा सीज किए हैं और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के भी चालान किए हैं। अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।"
सुभाषचंद्र गंगवार, एसपी यातायात

मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे- कुंदरकी

मुरादाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर कुंदरकी थाने से करीब 100 मीटर पर जागरण की टीम शाम पांच बजे करीब आधा घंटे खड़े होकर देखा तो यहां से हर एक मिनट में ई-रिक्शा गुजर रहा था। इस हाईवे पर बुधवार के बजाए गुरुवार को ई-रिक्शा की संख्या अधिक थी। स्थिति साफ है कि यातायात पुलिस ई-रिक्शा को नहीं रोक पा रही है।

कुंदरकी थाने के पास से गुजरता ई रिक्शा ● जागरण

जिला अस्पताल के पास बिना हेलमेट के बाइक पर जाते पुलिसकर्मी ● जागरण

महिला थाने के पास पुलिस कर्मी के सामने बिना हेलमेट गुजरता मोटरसाइकिल सवार ● जागरण

सीओ सिविल लाइंस कार्यालय के पास से बिना हेलमेट मोबाइल पर बात करते जाते स्कूटी सवार ● जागरण

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की आवासीय /व्यवसायिक/रेन्ट/नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजनाओं के निम्नलिखित आवेदकों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित सम्पत्ति का हस्तांतरण/नामान्तरण किये जाने हेतु प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:-

क्रम. सं.	मूल आवंटी/पट्टाधारक/ स्वामी का नाम	भूखण्ड भवन संख्या	योजना का नाम	मृत्यु/ विक्रय विलेख दिनांक	मूल आवंटी के उत्तराधिकारी/ क्रेता का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री भूषण शरण गुप्ता निवासी- ए/154 बुद्धि विहार, आवास विकास, दिल्ली रोड, जनपद मुरादाबाद उ.प्र.	HIG-F Plot No 5-C/118	नया मुरादाबाद योजना	मृत्यु दिनांक 25.06.2024	1 श्रीमती रेखा गुप्ता-मृतक की पत्नी 2. श्री विष्णु गुप्ता-मृतक का पुत्र 3. श्रीमती साक्षी गुप्ता-मृतक की विवाहित पुत्री 4. श्री हर्ष गुप्ता-मृतक का पुत्र निवासीगण : ए/154, बुद्धि विहार, आवास विकास तहसील व जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) (मो. नं. 8630782849)

नामान्तरण के उपयुक्त आवेदन के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह साक्ष्य सहित प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त करा दें। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकरण अभिलेखों में कॉलम-06 पर लिखित व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया जायेगा तथा उसके बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी सम्पत्ति

बिजली चोरी पर कार्रवाई, 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

संसू, मूंढापांडे : विद्युत विभाग ने बिजली चोरी और अवैध विद्युत उपयोग के खिलाफ बुधवार को विशेष अभियान चलाया। उपखंड अधिकारी (एसडीओ) दलपतपुर आरएन राठौड के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न मोहल्लों में सघन जांच की। इस दौरान 11 स्थानों पर बिजली का अवैध उपयोग पकड़ा गया। विभाग ने संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत 11 के प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। अभियान में अवर अभियंता (जेई) सड़कढ़ा खास बिजलीघर राजेश कुमार और लाइन स्टाफ शामिल रहा।

बरसात के दौरान भूमिगत लाइन में फाल्ट, नौ घंटे गुल रही बिजली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : बारिश के दौरान भूमिगत लाइन में फाल्ट होने पर गुरुवार को शहर के दो बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब सात बजे गई बिजली शाम चार बजे के आसपास बहाल हो सकी। करीब नौ घंटे तक बिजली न रहने से घरों में पानी की टंकियां नहीं भर पाईं, जबकि दुकानों में बिजली से जुड़े काम भी प्रभावित रहे।

टैक्सी स्टैंड बिजली उपकेंद्र की 33 केवी भूमिगत लाइन में सुबह फाल्ट आने से बुध बाजार, कोठीवाल नगर, मालवीय नगर सहित आसपास के क्षेत्रों की आपूर्ति ठप हो गई। बारिश के कारण भूमिगत केबल में खराबी का स्थान तलाशने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

उधर, दीनबंधुपुरम बिजलीघर से जुड़े क्षेत्रों में भी सुबह से ही आपूर्ति प्रभावित रही। दोनों स्थानों पर बिजली विभाग की टीमें मरम्मत कार्य में लगी रहीं। शाम करीब चार बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने का सबसे अधिक असर घरेलू कामकाज पर पड़ा। मोटरें नहीं चलने के कारण कई घरों में टंकियां खाली हो गईं। लोगों को दैनिक जरूरत के लिए दूसरे साधनों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। बिजली न होने से पंखे और कूलर भी बंद रहे, जिससे उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। बिजली गुल होने के बाद लोग लगातार बिजलीघर और विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर आपूर्ति बहाल होने की जानकारी लेते रहे। भूमिगत लाइन में खराबी होने के कारण मरम्मत में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। शाम चार बजे के आसपास दोनों क्षेत्रों में बिजली लौटने के बाद लोगों ने सबसे पहले पानी की मोटरें चलाकर टंकियां भरीं। इसके बाद घरों और दुकानों में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सके।

नया मुरादाबाद में बिजली कटौती से लोग परेशान : नया मुरादाबाद के सेक्टर- पांच में विद्युत आपूर्ति बार-बार कटौती, कम वोल्टेज की समस्या बनी होने की शिकायत गुरुवार को विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को प्रार्थना पत्र देकर की। ज्ञापन में कहा गया कि आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि विद्युत व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। ए बी और सी ब्लाक के लिए अलग-अलग ट्रांसफार्मर लगाए जाने की आवश्यकता है। कुछ ब्लाकों में ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन एक ब्लाक में ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण लंबी लाइन के जरिये आपूर्ति पहुंच रही है। इससे कम वोल्टेज और लाइन हानि की समस्या बनी रहती है।

दुकानों में ठप रहे बिजली से जुड़े काम

बाजार में बिजली पर निर्भर कारोबार भी प्रभावित हुआ। कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट और अन्य उपकरण बंद रहने से दुकानदार ग्राहकों के काम समय पर नहीं कर सके। कई जगह इनवर्टर से कुछ समय तक काम चलाया गया, लेकिन लंबी कटौती के कारण उनकी बैटरी भी जवाब दे गई। मोबाइल फोन और अन्य जरूरी उपकरण चार्ज करने में भी लोगों को दिक्कत हुई।

ईवीएम-वीवीपैट की जांच शुरू 25 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया

वेयरहाउस पर ईवीएम-वीवीपैट जांच के दौरान तेलंगाना से आए नोडल अफसर डा. वेंकटेश रेड्डी, साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजेन्द्र पैंसिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम व अन्य●

जासं, मुरादाबाद : विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) गुरुवार से शुरू हो गई। जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों ने मशीनों की तकनीकी जांच शुरू कर दी। यह प्रक्रिया करीब 20 से 25 दिनों तक चलने की संभावना है। जांच में 3,972 कंट्रोल यूनिट, 3,972 बैलेट यूनिट और 3,972 वीवीपैट शामिल हैं। एफएलसी में उत्तीर्ण ईवीएम और वीवीपैट का ही आगामी चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजेन्द्र पैंसिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम, नोडल अफसर के रूप में तेलंगाना से आइएएस अफसर डा. वेंकटेश रेड्डी वेयरहाउस पहुंचे।

भाई-बहनों से कराई गर्भवती की पिटाई, प्राथमिकी

संसू, अगवानपुर : अगवानपुर में सौतन ने अपने भाई-बहन के साथ घर में घुसकर महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिविल लाइंस क्षेत्र के अगवानपुर के मुहल्ला कुरैशियान निवासी महक नाज ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह गर्भवती है और 13 सितंबर को मुहल्ला कासिम नगर निवासी उसकी सौतन निशा अपने भाई शानू, अनस व समद और फरहा के साथ घर में घुस आई और उसकी पिटाई की।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

सर्किल कार्यालय : ARMB शाखा, रामगंगा विहार, निकट सैल टैक्स, मुरादाबाद (यू.पी.) EMAIL: cs8281@pnb.co.in

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक / प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी के अंकितानुसार तिथि को **"जैसी है जहां है", "जो भी है वही है"** आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय- 06.10.2026 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक एवं शाखा: ARMB (828100), मुरादाबाद

क्र. सं.	कर्जदार / बंधककर्ता / गारंटर का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति स्वामी का नाम	सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रूपये में) ईएमडी (रूपये में) बोली वृद्धिशील राशि
1	अलीमुद्दीन पुत्र श्री नसीमुद्दीन (ऋणी एवं बंधककर्ता) मो. वसीम पुत्र श्री शाहबुद्दीन (गारंटर)	साम्यिक संपत्ति स्थित है सीतापुर दास सराय, आवासीय योजना, एम.डी.ए. कॉलोनी, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल 61.20 वर्ग मीटर है। पंजीकृत है बिक्री विलेख संख्याः 12143, बही संख्याः 1, पृष्ठ संख्याः 133 से 160, क्रम संख्याः 15621, दिनांकः 19.09.2015, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद, (नामित है श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री नसीमुद्दीन के नाम) **चौहद्दी : पूर्व** : अन्य भूमि, **पश्चिम** : 9 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर** : एल.आई.जी. प्लॉट संख्या 09, **दक्षिण** : एल.आई.जी. प्लॉट संख्या 11।	03.05.2018 रू. 28,29,401/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 03.05.2018 से प्रभावी भौतिक	रू. 15,21,900/- रू. 1,52,190/- रू. 25,000/-
2	मैसर्स राजा टेंट एजेंसी (ऋणी फर्म) श्री वकील अहमद, पुत्र श्री लईक अहमद (मालिक और बंधककर्ता)	साम्यिक संपत्ति स्थित है अमरोहा खास, चुंगी के अंदर, मोहल्ला-लाल मस्जिद, दानिश मंदन के निकट, तहसील एवं जिला-अमरोहा (उ.प्र.), जिसका क्षेत्रफल 261.00 वर्ग मीटर है। (नामित है श्री वकील अहमद पुत्र श्री लईक अहमद के नाम) पंजीकृत है, बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 1114, पृष्ठ संख्याः 219 से 221, क्रम संख्याः 4852, दिनांक 24.08.1969। **चौहद्दी : पूर्व** : सरकारी सड़क, **पश्चिम** : सरकारी सड़क, **उत्तर** : शाहनवाज का मकान, **दक्षिण** : यासीन का मकान।	12.02.2026 रू. 21,07,740.14/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 12.02.2026 से प्रभावी सांकेतिक	रू. 1,27,25,000/- रू. 12,72,500/- रू. 50,000/-
3	श्री शबलू खान पुत्र मोहम्मद इरफान और असलम पुत्र दिलावर हुसैन (सह-ऋणी)।	संपत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है एल.आई.जी. प्लॉट संख्या 06, सितापुरी दास सराय, एम.डी.ए. आवासीय योजना, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद (उ.प्र.), जिसका कुल क्षेत्रफल 61.20 वर्ग मीटर है। (नामित है श्री शाबलू खान पुत्र मोहम्मद इरफान के नाम) पंजीकृत है, बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 17611, पृष्ठ संख्याः 31 से 46, बिक्री विलेख संख्याः 558, दिनांक 07.01.2022। **चौहद्दी : पूर्व** : अन्य भूमि, **पश्चिम** : 9.00 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर** : एल.आई.जी. प्लॉट संख्या 05, **दक्षिण** : एल.आई.जी. प्लॉट संख्या 07	25.10.2023 रू. 31,60,513.08/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 25.10.2023 से प्रभावी सांकेतिक	रू. 23,70,000/- रू. 2,37,000/- रू. 25,000/-
4	श्रीमती यास्मीन परवीन पत्नी श्री मोहम्मद गुरफ़ान (ऋणी और बंधककर्ता) और श्री. नसीरुद्दीन पुत्र श्री जमीरुद्दीन (गारंटर)	साम्यिक संपत्ति स्थित है मोहल्ला-इस्लाम नगर, स्लॉटर हाउस, असालतपुरा, मुरादाबाद (उ.प्र.), जिसका क्षेत्रफल 83.71 वर्ग मीटर है। (नामित है श्रीमती यासमीन परवीन पत्नी श्री मोहम्मद गुफरान के नाम) पंजीकृत है, बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 11329, पृष्ठ संख्याः 181 से 208, क्रम संख्याः 21804, दिनांक 22.11.2014, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय I, मुरादाबाद। **चौहद्दीः पूर्व** : जूज में उबेद उर रहमान एवं हाजी करामत उल्ला का मकान, **पश्चिम** : जुल्फिकार उल्ला आदि का मकान, **उत्तर** : वारिसन हाजी करामत उल्ला का मकान, **दक्षिण** : 4.40 मीटर चौड़ा रास्ता।	25.11.2025 रू. 59,62,330/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 25.11.2025 से प्रभावी सांकेतिक	रू. 52,93,,000/- रू. 5,29,300/- रू. 25,000/-
5	मैसर्स रंधावा एंटरप्राइजेज (ऋणी फर्म) श्री रंजीत सिंह, पुत्र परगत सिंह (मालिक और बंधककर्ता)	आवासीय एवं गोदाम भवन स्थित है ग्राम-सदराखेड़ा, तहसील-बिलासपुर, जिला-रामपुर, जिसका क्षेत्रफल 4.14 हेक्टेयर है, जिसमें हिस्सा 0.202 हेक्टेयर अथवा 2020 वर्ग मीटर है। (नामित है श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री परगट सिंह के नाम), खाता संख्याः 72, खसरा संख्याः 56, ए.डी.एम. बिलासपुर, जिला-रामपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार बंधक है। कंप्यूटर वाद संख्या T2016135917041774, बही संख्याः 01, पृष्ठ संख्या :335 से 346, बिक्री विलेख संख्याः 7865, दिनांक 26.12.2016। **चौहद्दीः पूर्व** : जोधा सिंह का प्लॉट, **पश्चिम** : सतनाम सिंह का प्लॉट, **उत्तर** : हैप्पी सिंह का प्लॉट, **दक्षिण** : सदरखेड़ा गुरुद्वारा।	30.09.2022 रू. 41,16,082/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 30.09.2022 से प्रभावी सांकेतिक	रू. 62,95,000/- रू. 6,29,500/- रू. 50,000/-

कृपया सरफेसी अधिनियम-2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों का वैधानिक नोटिस पढ़ें। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- ई-नीलामी से पूर्व

ई-नीलामी **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है"** के आधार पर की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। नीलामी बैंक के अनुमोदित वेब पोर्टल, **https://baanknet.com/, ssupport.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी वेब पोर्टल जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर उपलब्ध हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों का शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे / अधिकार / बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। बैंक की प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावे / अधिकारों / बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी की अन्य नियम और शर्तें **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर प्रकाशित हैं। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली / बिक्री राशि का **25% संबंधित ईएमडी खाता** में तुरंत जमा करना होगा, बयाना राशि उसी **25%** के प्रतिकुल समायोजित की जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर 25ः राशि जमा नहीं की जाती है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। सफल प्रतिभागी को बिक्री की पुष्टि की तारीख से **15 दिन** के भीतर शेष **75%** राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर **75%** राशि जमा नहीं की जाती है, तो **25%** भी जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभागी का संपत्ति पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें **मण्डल कार्यालय, श्री अनिल कुमार : +91 9674156363, श्री अरविन्द सिंह +91 9528411891**

दिनांकः 18.09.2026 स्थान : मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी- पंजाब नैशनल बैंक

पहले मकान पर कब्जे का प्रयास, फिर घर पहुंचकर बोला हमला

संसू, अगवानपुर : सिविल लाइंस क्षेत्र की अगवानपुर नगर पंचायत के मुहल्ला कुरैशियान में निर्माणाधीन मकान पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि दबंगों ने धारदार हथियार लेकर मकान स्वामी के घर में घुसकर मारपीट की। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर तीन महिलाओं समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

मुहल्ला कुरैशियान निवासी उस्मान मजदूरी करते हैं। उन्होंने अपनी दादा इलाही जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए आवेदन किया था। उनकी पत्नी कल्लो के नाम आवास स्वीकृत होने के बाद खाते में एक लाख रुपये की पहली किस्त आई थी। सरकारी धनराशि से मकान की दीवारें लेंटर तक पहुंच गईं। उस्मान का आरोप है कि सोमवार को समद, फराहीम, शानू, अनस, निशा और फरहा समेत अन्य लोग जमीन को अपना बताते हुए पहुंचे और मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मंगलवार को आरोपित फिर उसके घर पहुंचे और महिलाओं समेत स्वजन से मारपीट की। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

1. कर्मियों के लिए ईपीएफ की प्रतिमाह अधिकतम वेतन सीमा कितनी की गई है?
(क) रु 25000 (ख) रु 15000 (ग) रु 22000 (घ) रु 24000

2. नवगठित सेंसर बोर्ड में किस संगीतकार को शामिल किया गया है?
(क) ए आर रहमान (ख) रिकी केज (ग) अदनान सामी (घ) अनु मलिक

3. वेस्टइंडीज के खिलाफ होनेवाले वनडे सीरीज में किस आलराउंडर को जगह नहीं मिली है?
(क) नमन धीर (ख) रवि बिश्नोई (ग) हार्दिक पंड्या (घ) शिवम दूबे

क्विज संख्या 2 के विजेताओं के नाम

सुनील	*****45727	प्रयागराज	अंजनी	*****80893	पटना
विनय	*****46984	सोनीपत	निधि	*****52973	देहरादून
प्रियांशु	*****86170	सिलीगुड़ी	हर्षित	*****20460	कानपुर
प्रज्ञिता	*****64222	नई दिल्ली	शिल्पी	*****03245	लखनऊ
इन्द्रजीत	*****32770	जालंधर	राजलक्ष्मी	*****69679	मेरठ
रितिक	*****83385	बरेली	चेतन	*****69707	इंदौर
बीना	*****36568	हल्द्वानी	मीनाक्षी	*****84504	प्रयागराज
जयंती	*****96455	फरीदाबाद	सुक्षम	*****17062	मुरादाबाद
नीतू	*****25334	गोरखपुर	शिवांगी	*****65881	लुधियाना
अमन	*****20533	गाजियाबाद	अमल	*****91047	धनबाद
मानसी	*****63503	आगरा	चुमन	*****60262	भागलपुर
आनंद	*****61409	वाराणसी	विक्रम	*****65682	पानीपत
प्रिया	*****36487	पटना	जुल्फिकार	*****21015	गौतम बुद्ध नगर
श्वेता	*****90754	अलीगढ़	सुंदर	*****62300	हरिद्वार
पुरुषोत्तम	*****18038	वाराणसी	अनुराग	*****74208	बिलासपुर

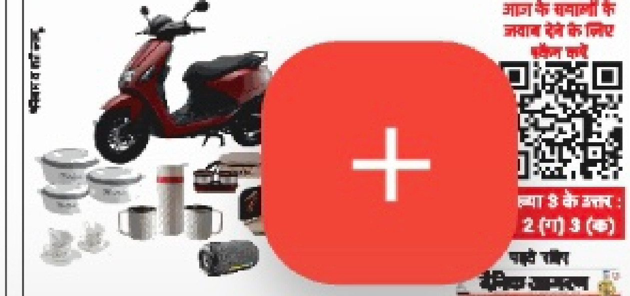

क्विज खेलने के लिए निःशुल्क एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य